


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

मु0न0 09/24

उनवान उगन्ती बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित अप्रार्थी से दिनांक 17.05.2024 को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल पत्रावली की गई है। मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 1069/1 कुल रकबा 0.17 बीघा. लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। मुताबिक रिकार्ड प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करवा लिया गया है पडौसी खातेदार द्वारा पत्थरगढी करने पर सहमति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी सीमाज्ञान की शर्तों के अनुसार करवाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा जमाबन्दी नक्शा ट्रेस व तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार रिपोर्ट का सुक्ष्मता से अवलोकन किया गया व प्रार्थीगण को मौखिक सुना गया। मेरे विनम्र मत में प्रकरण में सीमाज्ञान की शर्त के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि की में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि राजस्व टीम का गठन कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 1069/1 कुल रकबा 0.17 बीघा. लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा का रिपोर्ट की शर्त के अनुसार मौके पर जाकर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी कायम करवायी जावे एवं नियमानुसार देय राजकीय शुल्क प्रार्थी से प्राप्त किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज०)</p>	